



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 8 सितम्बर, 1975

भाद्रपद 17, 1897 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
द्वितीयिका अनुभाग-1

संख्या 3069/सत्रह-वि-1-98-75

लखनऊ, 8 सितम्बर, 1975

अधिसूचना  
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 7 सितम्बर, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठ्ठीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) धारा 3, 1 जनवरी, 1975 से प्रवृत्त हुई समझी जायगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध दिनांक 13 जून, 1975 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2—यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की, जिसे आपने मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 224-बी के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

“224-ख—धारा 224 के खण्ड (ग) के अधीन दिया गया प्रत्येक लाइसेंस यदि पहले ही वर्तमान लाइसेंसों प्रतिसंहत न कर दिया गया हो, 13 जून, 1975 से प्रतिसंहत हो जायगा।”

का प्रति संहरण

संक्षिप्त नाम  
तथा विस्तार

यू० पी० ऐक्ट  
संख्या 2, 1916  
की धारा 224-बी  
के स्थान पर  
नई धारा का रखा  
जाना

धारा 224-सी के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 224-सी के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

“224-ग—(1) यदि किसी लाइसेंसधारी का लाइसेंस धारा 224-बी के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, प्रति-संहृत कर दिया जाय या उक्त अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित नई धारा 224-ख के आधार पर प्रतिसंहृत हो जाय तो लाइसेंस के प्रतिसंहरण के दिनांक (जिसे इस धारा में आगे “उक्त दिनांक” कहा गया है) के ठीक पूर्व लाइसेंसधारी की या उसमें निहित जल-कल सम्बन्धी समस्त सम्पत्ति (अर्थात्, समस्त वर्तमान जल-सम्भरण सेवायें जिनके अन्तर्गत सभी संयन्त्र, मशीनरी, जल-कल, पम्पिंग सेट, फिल्टर ब्रेड तथा किसी सार्वजनिक मार्ग के किनारे ऊपर या नीचे बिछाये गये पानी के मैने और पाइप भी हैं और उनसे संलग्न सभी भवन और अन्य निर्माण-कार्य, सामग्री, भंडार तथा वस्तुएं) उक्त दिनांक से उस सम्पत्ति से सम्बद्ध लाइसेंसधारी के किसी ऋण, बन्धक या समान आभार से मुक्त होकर बोर्ड में निहित और उसको अन्तर्हित हो जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा ऋण, बन्धक या समान आभार ऐसी सम्पत्ति के स्थान पर उपधारा (2) में निर्दिष्ट धनराशि से सम्बद्ध हो जायगा ।

(2) जहां किसी लाइसेंसधारी की कोई सम्पत्ति बोर्ड में उप-धारा (1) के अधीन निहित हो जाती है, और वह ऐसा जल-कल नहीं है जिसका प्रबन्ध मात्र बोर्ड ने धारा 224 के खण्ड (घ) के अधीन उस लाइसेंसधारी को अन्तर्हित किया था, वहां बोर्ड उस लाइसेंसधारी को इस धारा में आगे के उपबन्धों के अनुसार अवधारित धनराशि देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त दिनांक से उक्त धनराशि के भुगतान के दिनांक तक की अवधि के लिए उक्त धनराशि पर उक्त दिनांक को प्रभावशाली रिजर्व बैंक की दर से एक प्रतिशत अधिक व्याज लाइसेंसधारी को उक्त धनराशि के अतिरिक्त दिया जायगा ।

(3) राज्य सरकार इस धारा में उल्लिखित कटौतियां करने के पश्चात् लाइसेंसधारी को इस धारा के अधीन देय किसी धनराशि का निर्धारण करने के लिये विशेष अधिकारी लेखा सम्बन्धी विषयों के पर्याप्त ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को लिखित आदेश द्वारा नियुक्त करेगी ।

(4) (क) विशेष अधिकारी दिये जाने वाली शुद्ध धनराशि का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की या लाइसेंसधारी की सहायता की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह उचित समझे ।

(ख) विशेष अधिकारी को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वैसी ही शक्तियां होंगी जैसी किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं:—

(1) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(2) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(3) साक्षियों का परीक्षण करने के लिये कमीशन जारी करना ।

विशेष अधिकारी को ऐसी और शक्तियां भी होंगी जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(5) ऐसे लाइसेंसधारी को देय स्थूल धनराशि नीचे विनिर्दिष्ट धनराशि का कुल योग होगा:—

(1) जल-कल से सम्बन्धित श्रौंर बोर्ड द्वारा ले लिये गये सभी निर्माण-कार्य (उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए हुए निर्माण-कार्यों को छोड़कर) जो पूरे हो गए हैं और लाभप्रद उपयोग में हैं उनका पुस्तान्कित मूल्य जिसमें से इस धारा से संलग्न सारणी के अनुसार आकलित अवक्षय को कम कर दिया जायगा;

(2) लिये गये निर्माणाधीन कार्य (उपभोक्ताओं या भावी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किये गये निर्माण-कार्यों को छोड़कर) का पुस्तान्कित मूल्य;

(3) लिये गये सभी भण्डार का जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त पुर्जे भी हैं, पुस्तान्कित मूल्य और उपयोग किए गए भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जों की दशा में, यदि लिये गये हों, ऐसी धनराशि जो विशेष अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाय;

(4) ली गयी तथा उक्त दिनांक को उपयोग में लाई जा रही अन्य सभी स्थिर आस्तियों का पुस्तान्कित मूल्य, जिसमें से उक्त सारणी के अनुसार आकलित अवक्षय को कम कर दिया जायगा;

(5) जो संयन्त्र और उपस्कर उक्त दिनांक को विद्यमान थे और अब घिसाई-पिटाई या अप्रचलन के कारण उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं, यदि वे ले लिये गये हों तो जिस सीमा तक लाइसेंसधारी ने अपनी बहियों में उनका मूल्य बट्टे-खाने में न डाल दिया हो, उस सीमा तक उन सबका पुस्तान्कित मूल्य जिसमें से उक्त सारणी के अनुसार आकलित अवक्षय को कम कर दिया जायगा ।

**हट्टीकरण:—**किसी स्थिर आस्ति के पुस्तकीकित मूल्य का तात्पर्य उसकी मूल्य लागत से है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा:—

(1) लाइसेंसधारी के द्वारा आस्ति के लिए दिए गए क्रय मूल्य जिसके अन्तर्गत परिधान का खर्च और आस्ति को अस्तित्व में लाने और लाभप्रद उपयोग के योग्य बनाने में उचित रूप से उपगत प्रभार भी (जैसा कि लाइसेंसधारी की बहियों में दिखाया गया है) सम्मिलित है।

(2) पर्यवेक्षण की वास्तविक लागत, किन्तु जो पैरा (1) में निर्दिष्ट धनराशि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन धनराशि का विनिश्चय करने के पूर्व विशेष अधिकारी द्वारा लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर इस बात के लिए कम से कम 15 दिन की नोटिस देने के पश्चात् दिया जायगा।

(6) बोर्ड लाइसेंसधारी को उपधारा (5) के अधीन देय स्थूल धनराशि में से निम्नलिखित धनराशि काटने का हकदार होगा:—

(क) लाइसेंसधारी द्वारा बोर्ड को देय समस्त धनराशि और उस पर व्याज का बकाया, यदि कोई हो ;

(ख) राज्य सरकार या राज्य विद्युत् परिषद् को देय समस्त धनराशि तथा उस पर व्याज का बकाया, यदि कोई हो ;

(ग) जल-कल के सम्बन्ध में (संयुक्त प्रांत औद्योगिक षण्डों का ऐक्ट सन् 1947 ई० के अर्थात् अन्त) मजदूर के रूप में सेवायोजित व्यक्तियों को देय और उक्त दिनांक को भुगतान की गई मजदूरी, बोनस, अनुतोष, भविष्य निधि या अन्य भुगतान की कोई धनराशि ;

(घ) लाइसेंसधारी द्वारा जल-कल के सम्बन्ध में सेवायोजित व्यक्तियों के विषय में इम्प्लाइज प्राविडेंट फण्ड ऐक्ट, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन अपने अंशदान या अपने द्वारा वसूल किए गए कर्मचारी के अंशदान या लाइसेंसधारी से वसूली योग्य अन्य देयों के सम्बन्ध में भुगतान न की गई धनराशि।

(7) लाइसेंसधारी यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य विद्युत् परिषद् के प्रति या अपने कर्मचारियों के प्रति उपधारा (6) के अधीन की गयी कर्तवियों तक अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगा। ऐसी कोई कर्तव्य की जाने पर म्युनिसिपल बोर्ड यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य विद्युत् परिषद् या मजदूर को उक्त सीमा तक भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

(8) यदि लाइसेंसधारी को देय स्थूल धनराशि इस धारा के अधीन कर्तव्य की जाने वाली धनराशि के बराबर या उससे कम हो तो म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा लाइसेंसधारी को कोई भुगतान नहीं किया जायगा।

(9) बोर्ड द्वारा लाइसेंसधारी को देय धनराशि, यदि कोई हो, वही होगी जो उपधारा (5), (6) तथा (8) के अधीन विशेष अधिकारी द्वारा अवधारित की जाय और धारा 324 की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा देय धनराशि के अवधारण के सम्बन्ध में लागू होती है।

### विभिन्न आस्तियों की प्रयोगावधि के आधार पर अवक्षय तारणी

लाइसेंसधारी के उपक्रम में लगी स्थिर आस्तियों के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष के लिए उतनी धनराशि काटी जायगी जो यदि निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट सन्पूर्ण अवधि पर्यन्त प्रतिवर्ष अलग रखी जाय तथा उस पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि व्याज संचित होने दिया जाय तो उससे उक्त अवधि के अन्त में उतनी धनराशि प्राप्त हो जो लाइसेंसधारी की बहियों में पहले से अप-लिखित तथा पुस्तक की गयी धनराशियों को ध्यान में रखते हुए, उक्त आस्ति की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत के बराबर हो:—

स्तम्भ—1

आस्ति का ब्योरा

- क—भूमि जो पूर्ण हक के अधीन स्वामित्व में हो
- ख—पट्टे के अन्तर्गत धृत भूमि

स्तम्भ—2

अवधि या वर्ष संख्या

- अपरिमित।
- पट्टे की अवधि या पट्टे के अन्याय पर अस्तमाप्त शेष अवधि।

ग—नई कय की गई आस्तिया—

(फ) स्थायी प्रकार के भवन तथा सिविल अभियांत्रिक निर्माण-कार्य जिनका ऊपर उल्लेख न किया गया हो:—

(1) कार्यालय	..	पचास
(2) अस्थायी संस्थापन जैसे काष्ठ संरचनायें	..	पांच
(3) कच्ची सड़कों से भिन्न सड़कें	..	एक सौ
(4) अन्य	..	पचास
(ख) स्वचालित गाड़ियां	..	सात
(ग) (1) कार्यालय फर्नीचर तथा फिटिंग्स	..	बीस
(2) कार्यालय उपस्कर	..	दस

(घ) खरीदी गई पुरानी आस्तियां तथा ऐसी आस्तियां जो इस सारणी में अन्यथा न दी गई हों।

ऐसी युक्तियुक्त अवधि जिसे विशेष अधिकारी द्वारा आस्तियों के अर्जन के समय उनका प्रकार, आयु तथा दशा को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाय।

उ०प्र० अध्यादेश संख्या 16, 1975

4—(1) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायगा।

No. 3069 (2)/XVII-V-1-98-75

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Municipalities (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 45 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 7, 1975:

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 1975  
(U. P. ACT NO. 45 OF 1975)  
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN ACT

further to amend the United Provinces Municipalities Act, 1916.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 1975.

(2) Section 3 shall be deemed to have come into force on January 1, 1975, and the remaining provisions of this Act shall be deemed to have come into force on June 13, 1975.

Substitution of new section for section 224-B of U. P. Act II of 1916.

2. For section 224-B of the United Provinces Municipalities Act, 1916, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“224-B. Every licence granted under clause (c) of section 224 shall, if not already revoked, stand revoked with effect from June 13, 1975.”

Revocation of existing licences.

if not already revoked, stand revoked with effect from June 13, 1975.”

3. For section 224-C of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Substitution of  
new section for  
section 224-C.

"224-C. (1) Where the licence of a licensee is revoked under section 224-B as it stood immediately before the commencement of the U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1975, or where such licence stands revoked by virtue of the new section 224-B as substituted by the said Act, all the property pertaining to the waterworks (namely, all existing water supply services, including all plants, machinery, waterworks, pumping sets, filter beds, water mains and pipes laid down along over or under any public street, and all buildings and other works, materials, stores and things appurtenant thereto) belonging to or vested in the licensee immediately before the date of revocation of the licence (hereinafter in this section referred to as 'the said date') shall as from the said date vest in and stand transferred to the Board free from any debt, mortgage or similar obligation of the licensee attached to such property :

Provided that any such debt, mortgage or similar obligation shall attach to the amount referred to in sub-section (2) in substitution for such property.

(2) Where any property belonging to the licensee vests in the Board under sub-section (1), not being waterworks of which only the management was transferred to him by the Board under clause (d) of section 224, the Board shall pay to such licensee an amount determined as hereinafter provided in this section :

Provided that the licensee shall, in addition to the said amount, be paid interest thereon on the Reserve Bank rate ruling on the said date plus one per centum for the period from the said date to the date of payment of the said amount.

(3) The State Government shall appoint, by order in writing, a person having adequate knowledge and experience in matters relating to accounts, to be Special Officer to assess any amount payable under this section to the licensee after making the deductions mentioned in this section.

(4) (a) The Special Officer may call for the assistance of such officers and staff of the State Government in the Local Self-Government Engineering Department or of the licensee as he may deem fit for assessing the net amount payable.

(b) The Special Officer shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, when trying a suit, in respect of the following matters :—

(i) enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(ii) compelling the production of documents ; and

(iii) issuing commissions for the examination of witnesses.

The Special Officer shall also have such further powers as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*.

(5) The gross amount payable to such licensee shall be the aggregate value of the amounts specified below—

(i) the book value of all completed works in beneficial use pertaining to the waterworks and taken over by the Board (excluding works paid for by the consumers), less depreciation calculated in accordance with the Table appended to this section ;

(ii) the book value of works in progress taken over, excluding works paid for by the consumers or prospective consumers ;

(iii) the book value of all stores, including spare parts taken over, and in the case of used stores and spare parts, if taken over, such sum as may be decided upon by the Special Officer ;

(iv) the book value of all other fixed assets in use on the said date and taken over, less depreciation calculated in accordance with the said Table ;

(v) the book value of all plants and equipments existing on the said date, if taken over, but no longer in use owing to wear and tear or to obsolescence, to the extent such value has not been written off in accordance with the said Table ;

*Explanation*—The book value of any fixed asset means its original cost, and shall comprise—

(i) the purchase price paid by the licensee for the asset, including the cost of delivery and all charges properly incurred in erecting and bringing the asset into beneficial use, as shown in the books of the licensee ;

(ii) the cost of supervision actually incurred, but not exceeding fifteen per cent of the amount referred to in paragraph (i) :

Provided that before deciding the amount under this sub-section, the licensee shall be given an opportunity by the Special Officer of being heard, after giving him a notice of at least 15 days therefor.

(6) The Board shall be entitled to deduct the following sums from the gross amount payable under sub-section (5) to the licensee—

(a) all amounts and arrears of interest, if any, thereon, due from the licensee to the Board ;

(b) all amounts and arrears of interest, if any, thereon, due to the State Government or the State Electricity Board ;

(c) any amount of wages, bonus, gratuity, provident fund or other payments due to remaining unpaid on the said date to persons employed as workmen (within the meaning of the U. P. Industrial Disputes Act, 1947), in connection with the waterworks ;

(d) any amount which licensee may have failed to pay in respect of either his contribution or the employees' contribution realised by him or any other dues recoverable from licensee under the Employees Provident Fund Act, 1952 or the Employees State Insurance Act, 1948 in respect of persons employed in connection with the waterworks.

(7) The liability of the licensee towards the State Government or the State Electricity Board or towards his employees, as the case may be, to the extent of deductions made under sub-section (7) shall stand discharged. Upon any such deduction being made the Municipal Board shall to that extent be liable to make payment to the State Government, the State Electricity Board or the workmen, as the case may be.

(8) Where the gross amount payable to the licensee is equal to or less than the amount to be deducted under this section no payment shall be made to the licensee by the Municipal Board.

(9) The amount, if any, payable by the Board to the licensee shall be as determined by the Special Officer under sub-sections (5), (6), (8) and nothing in section 324 shall be construed to apply in relation to the determination of the amount payable by the Board under this section.

*Table of depreciation based on the period of life expectancy of various assets*

There shall be deducted for each year in respect of fixed assets employed in the licensee's undertaking such an amount as would, if set aside annually throughout the period specified in the following table and accumulated at compound interest at four per cent per annum, produce at the end of the said period an amount equal to ninety per cent of the original cost of the asset after taking into account the sums already written off or set aside in the books of the licensee :—

Column 1 Description of asset	Column 2 Number of years or period
A. Land owned under full title.	Infinite.
B. Land held under lease.	The period of the lease or the period remaining unexpired on the assignment of the lease.
C. Assets purchased now—	
(a) Building and Civil Engineering works of a permanent character not mentioned above :—	
(i) Offices	Fifty.

222

Column 1 Description of asset	Column 2 Number of years or period.
(ii) Temporary erections, such as wooden structures.	Five.
(iii) Roads other than Kuchcha Roads.	One hundred.
(iv) Others	Fifty.
(b) Self-propelled vehicles	Seven.
(c) (i) Office furniture and fittings.	Twenty.
(ii) Office equipment	Ten.
D. Assets purchased second hand and assets not otherwise provided for in this table.	Such reasonable period as the Special Officer determines in each case having regard to the nature, age and condition of the asset at the time of its acquisition by it."

P. Finance 16 of

4. (1) The Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 1975, is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act.

आज्ञा से,  
कैलाश नारायण गोयल,  
सचिव ।